न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 520–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 2–1–2014 पारित द्वारा तहसीलदार, आठनेर जिला बैतूल प्रकरण कमांक 11/अ–70/2011–12.

श्रीमती पुंजी बाई विधवा संपत्ति कुबड़े
निवासी ग्राम पुसली
तहसील आठनेर जिला बैतूल .....आवेदिका

विरूद्ध

श्रीमती बाया बाई पत्नी श्रावन कुन्बी
निवासी ग्राम टेमुरनी
तहसील आठनेर जिला बैतूल .....अनावेदिका

श्री यशवन्त साहू, अभिभाषक, आवेदिका
श्री अनन्त उदयपुरे, अभिभाषक, अनावेदिका

:: **आ दे श** ::

(आज दिनांक 5/9/15 **को पारित)**

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, आठनेर जिला बैतूल द्वारा पारित आदेश 2–1–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा तहसीलदार, आठनेर जिला बैतूल के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम टेमुरनी, प.ह.नं. 59 स्थित भूमि सर्वे कमांक 373/1 रकबा 1.355 हेक्टेयर उसके भूमिस्वामी स्वत्व की है । उक्त भूमि का सीमांकन कराया गया है, जिसमें 0.586 हेक्टेयर पर आवेदिका का अवैध कब्जा पाया गया है, किन्तु आवेदिका द्वारा कब्जा

नहीं छोड़ा गया है, अतः अनावेदिका की भूमि पर से आवेदिका का अवैध कब्जा हटाकर भूमि वापिस दिलायी जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 11/अ–70/2011–12 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदिका की ओर से दिनांक 22–6–2013 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर संलग्न सूची अनुसार दस्तावेजों अभिलेख पर लिये जाने का अनुरोध किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 2–1–2014 को आदेश पारित कर आवेदिका की ओर से प्रस्तुत उक्त आवेदन पत्र निरस्त किया जाकर प्रकरण साक्ष्य व प्रतिपरीक्षण हेतु दिनांक 9–1–14 नियत किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदिका की ओर से आवेदन पत्र के साथ पूर्व में हुए सीमांकन के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे, जिनका तहसील न्यायालय के समक्ष लम्बित प्रकरण में साक्ष्य के लिए सीधा संबंध था, इसके बावजूद भी आवेदन पत्र निरस्त करने में तहसील न्यायालय द्वारा अवैधानिक कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदिका द्वारा बाद की सोच के आधार पर पुनः उसी भूमि का सीमांकन आवेदिका को बिना सूचना दिये कराया गया है, जिसके लिए पूर्व में हुए सीमांकन को विचार क्षेत्र में लेना आवश्यक था, क्योंकि आवेदिका द्वारा भूमि कय की जाकर विधिवत सीमांकन कराया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किय गया कि तहसील न्यायालय को दस्तावेज अभिलेख पर लेने में उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था परन्तु उक्त कार्यवाही नहीं कर आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदिका द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के समक्ष मूल प्रकरण में जो जवाब प्रस्तुत किया गया है, उक्त जवाब एवं तत्पश्चात दस्तावेज अभिलेख पर लिये जाने के आदेश में उल्लेखित दस्तावेजों का कोई संबंध नहीं है ।

(2) दस्तावेज अथवा बचाव जिसका उल्लेख आवेदिका की ओर से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किये गये जवाब में उल्लेख नहीं किया गया है और ना ही प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर आवेदिका ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना बचाव

प्रस्तुत किया है, इस कारण उसकी ओर से दस्तावेज अभिलेख पर लिये जाने का आवेदन निरस्त किया जाना पूर्णतः न्यायोचित है, क्योंकि उक्त दस्तावेज एवं बचाव का जवाब में कोई उल्लेख नहीं है, इस कारण ऐसे दस्तावेज अभिलेख पर लिये जाने का विधि अनुसार कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ऐसे दस्तावेजों का जवाब में उल्लेख के अभाव के कारण संज्ञान में लिया जाना या उन पर विचार किया जाना संभव नहीं है, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दस्तावेज अभिलेख पर ना लिये जाने का आदेश दिनांक 2–1–14 पूर्णतः विधि अनुसार होकर स्थिर रखे जाने योग्य है ।

(3) आवेदिका के द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 2–1–14 के विरूद्ध सीधे इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई है, जबकि विधि में उल्लेखित होते हुए भी वर्तमान निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न की जाकर विचारण न्यायालय से वरिष्ठ न्यायालय में प्रस्तुत की जानी चाहिए थी, जो कि आवेदिका के द्वारा नहीं किया गया है।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेज अभिलेख पर लेने हेतु अनुमति चाही गई है और तहसीलदार द्वारा आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जो कि उचित कार्यवाही नहीं है, क्योंकि आवेदिका को अपने पक्ष समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है । इस प्रकरण में तहसीलदार का यह विधिक दायित्व था कि वे उक्त दस्तावेज अभिलेख पर लेकर प्रकरण के अन्तिम निराकरण के समय इस बिन्दु पर विचार करते कि उक्त दस्तावेज प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय हैं अथवा नहीं । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, आठनेर जिला बैतूल द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–1–14 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर